

गाजियाबाद के विकसित क्षेत्रों में बहु-उद्देशीय भूखण्डों एवं आवासीय भवनों का निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें

1. पात्रता :

- (i) व्यवसायिक भूखण्ड, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग भूखण्ड, सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड, कियोस्क भूखण्ड, आर्ट गैलरी भूखण्ड, आवासीय भूखण्ड, दुकान भूखण्ड तथा आवासीय भवन, दुकान, हॉल एवं अन्य हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसका विधिक व्यक्तित्व हो, आवंटन हेतु प्रस्तावित नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (ii) पैट्रोल पम्प भूखण्डों हेतु केवल पैट्रोलियम कम्पनी एवं उनके अधिकृत लाइसेंस होल्डर (लैटर ऑफ इन्टैन्ट होल्डर) नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (iii) हॉस्पिटल/नर्सिंग होम भूखण्ड की नीलामी हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक अथवा हॉस्पीटल संचालित करने हेतु गठित कम्पनी/सोसायटी/फर्म आवेदन के साथ/आवंटन के पश्चात् प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) फार्मा एवं इण्डस्ट्री भूखण्डों हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्माण से पूर्व प्राप्त करना होगा।
- (v) शैक्षिक/चिकित्सा संस्थानों के भूखण्डों को 90 वर्ष की लीज, बहुमंजिले आवासीय भवन 90 वर्ष तथा अवशेष भूखण्डों/सम्पत्तियों फ्री-होल्ड आधार पर विक्रय किये जायेंगे। फ्री-होल्ड अधिकार निस्तारण के समय प्रभावी निर्माण उपविधि तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कन्ट्रोल डिजाईन व तालिका में अंकित भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० के अधीन होगा।
- (vi) आवेदक/बोलीदाता को आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।
- (vii) प्रस्तावित कम्पनियों, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वॉइन्ट फैमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। ऐसा पाये जाने पर भूखण्ड का विक्रय विलेख व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में व्यक्तिगत रूप में निष्पादित किया जायेगा। भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियाँ नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत हैं। उक्त फर्म/कम्पनियों के पक्ष में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जायेगा। एक बार आवंटन के बाद फर्म/कम्पनी का नाम परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- (viii) शासनादेश सं. 378/9-आ-1-सम्पत्तियाँ/आ.ब./2000 आवास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 20.06.2001 के अनुसार किसी भी बोली में कम से कम दो बोलीदाता होंगे। विषेश परिस्थितियों में एक बोलीदाता की बिड पर भी विचार किया जा सकता है परन्तु इसके लिए उसकी पूर्ण विवेचना जैसे प्रश्नगत सम्पत्ति कितनी बार नीलामी में लगायी गयी है तथा कितनी बोली आयी थी, सम्पत्ति में क्या खराबी अथवा क्या अच्छाई है करने के बाद भी विशय उपाध्यक्ष को अग्रसारित किया जायेगा जिस पर उपाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों/भवनों का विवरण तालिका-1 में अंकित है।

2. पंजीकरण :

किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, नीलामी की दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के साथ नीलामी स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा कराकर टोकन प्राप्त कर लेगा। आवेदन-पत्र एवं विवरण पुस्तिका गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं किन्तु डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में ₹ 1100.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही वैध/मान्य होगा।

आवेदन पत्र ₹ 1100.00 के भुगतान पर किसी भी कार्यदिवस में निम्नलिखित स्थानों/काउन्टर से प्राप्त किये जा सकते हैं:-

1. जनसम्पर्क कार्यालय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ गाजियाबाद।
2. व्यवसायिक अनुभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ गाजियाबाद।
3. विजया बैंक, 35 नवयुग मार्किट गाजियाबाद।
4. ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, बी-193 राहुल पैलेस लोहिया नगर, गाजियाबाद फोन नं 0120-2714546
5. ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, 64,65 प्रथम तल सै-0-18 नोएडा, फोन नं 0120-2512207.
6. ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स सिक्का चैम्बर विकास मार्ग लक्ष्मीनगर नई दिल्ली फोन नं 011-22532410
7. ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स सै-0-32 गुडगाँव फोन नं-0124-2550033

3. नीलामी प्रक्रिया :

- (i) बोलीदाता/निविदादाता को विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र को पूर्ण रूप से भरकर फोटो सत्यापित कराते हुए निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के साथ नीलामी की दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक बोली स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा करना होगा, जिसके पूर्ण/सही पाये जाने पर बोली में भाग लेने हेतु टोकन जारी किया जायेगा।
- (ii) उपाध्यक्ष/नीलामी अधिकारी सभी भूखण्डों अथवा किसी भी एक भूखण्ड की नीलामी जनहित/प्राधिकरण हित में स्थगित कर सकते हैं।
- (iii) भूखण्ड की नीलामी आरक्षित दर से अधिक दर से आरम्भ की जायेगी। दो बोलियों के बीच न्यूनतम अन्तर को नीलामी के समय सूचित किया जायेगा।
- (iv) “भूखण्डों का आबंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किया जायेगा। नीलामी में जो सर्वोच्च दरें प्राप्त होंगी उनमें प्राप्त दरों का 12 प्रतिशत लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज जोड़कर भूखण्ड/सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज मूल्य के साथ-साथ देय होगा। बहुमंजिले भवनों के प्रकरण में केवल 10 प्रतिशत लीजरेन्ट जोड़कर भवन का मूल्य निर्धारित किया जायेगा तथा भवन लीज पर ही आबंटित किये जायेंगे।”
- (v) कार्नर के भूखण्डों/सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
- (vi) जिस बोलीदाता द्वारा भूखण्ड/भवन की बोली दी जायेगी, उसे अपनी बोली वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- (vii) कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात ₹ 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा ₹ 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। बोलीदाता द्वारा धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए भूखण्ड/भवन को निरस्त कर दिया जायेगा। नीलामी अधिकारी फॉल ऑफ हैमर पर प्राप्त उच्चतम बोली को नीलामी समिति के माध्यम से भूखण्ड/भवन की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (viii) जो व्यक्ति/संस्था खुली नीलामी में भाग न लेते हुए अपनी बोली की निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र को विवरण पुस्तिका में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार भरेंगे। आवेदक/निविदादाता हस्ताक्षरित निविदा/बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में देय तथा पासपोर्ट आकार के सत्यापित फोटो के साथ लिफाफे को सील करके प्राधिकरण सभागार/नीलामी स्थल में रखी गयी सील बन्द निविदा-पेटी में नीलामी की निर्धारित तिथि को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक डालेगा। इसके उपरान्त सील्ड निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। डाक द्वारा भेजी गयी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। फोटो का सत्यापन करने हेतु राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी/बैंक अधिकारी सक्षम होंगे।

- (ix) निविदा/बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो निविदा फॉर्म के साथ सीलबन्द लिफाफे के ऊपर बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी दशा में चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (x) सील्ड बिड के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में योजना का नाम, आवेदित भूखण्ड/भवन संख्या एवं आवेदक का नाम व पता अंकित करना आवश्यक होगा। अन्यथा सील्ड बिड खोली नहीं जायेगी।
- (xi) यदि कोई निविदा अपूर्ण यथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट, सत्यापित फोटो हस्ताक्षर अथवा वांछित प्रपत्रों के बिना होगी तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये एक या सभी निविदाओं/बोलियों जिसमें उच्चतम निविदा/बोली भी सम्मिलित होगी, को अस्वीकार कर दें।
- (xii) यदि आवेदक की निविदा/बोली निरस्त अथवा अस्वीकार होती है तो धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (xiii) योजना के अन्तर्गत किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष को नीलामी के माध्यम से आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।
- (xiv) भूखण्ड सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। आरक्षित दर अथवा उससे अधिक मूल्य अंकित करने पर ही आवेदक आवंटन के लिए अर्ह माना जायेगा।
- (xv) आवेदक को निविदा दर अंकों तथा शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त किया जा सकता है। अंकों तथा शब्दों में निविदा दर भिन्न होने की स्थिति में शब्दों में लिखी गयी निविदा दर मान्य होगी।
- (xvi) नीलामी समिति की संस्तुतियों को मानने या न मानने तथा बोलीदाताओं की बोली को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार/अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा। उपाध्यक्ष के निर्णय पर किसी भी बोलीदाता को आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।
- (xvii) भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है। यदि 10 प्रतिशत तक क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसे आबंटी को प्रत्येक दशा में मान्य होगा। 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल बढ़ने पर आबंटी को विकल्प होगा कि वह भूखण्ड क्रय करे अथवा जमा सम्पूर्ण धनराशि बिना कटौती एवं ब्याज के वापस ले सकता है। क्रय करने की स्थिति में 10 प्रतिशत नीलामी दर पर एवं शेष भूमि नीलामी दर या तत्समय प्रभावी सैकटर रेट जो भी अधिक हो की दर से देय होगा।
- (xviii) आवंटी द्वारा भूखण्ड/भवन को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु आवंटी को भूखण्ड/भवन को बन्धक रखने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से बन्धक अनुमति प्राप्त करनी होगी। बन्धक रखने की प्रक्रिया में हुए व्यय को आवंटी द्वारा वहन करना होगा।
- (xix) कम्पनी/सोसाइटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एवं रेजोल्यूशन लैटर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु अर्थारिटी लेटर भी संलग्न करना होगा।
- (xx) यदि किसी आवेदक द्वारा स्वयं बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (xxi) आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लें। नीलामी के समय अथवा नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नीलामी की सम्पत्ति का कोई अतिरिक्त सुधार/विकास करने का उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। सम्पत्ति “जहाँ है—जैसा है” के आधार पर नीलाम की जायेगी।

4. आवंटन प्रक्रिया :

- (i) आवंटन निविदा तथा बोली दोनों में प्राप्त सर्वोच्च दर पर किया जायेगा। सर्वप्रथम नीलामी हेतु खुली बोली सम्पन्न की जायेगी, इसके उपरान्त निविदा खोली जायेगी। खुली नीलामी के अन्तर्गत प्राप्त उच्चतम बोली एवं निविदा पेटी में प्राप्त सील्ड निविदा की दर जो भी उच्च होगी, उसी की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
- (ii) नीलामी समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बिना ब्याज के मूल रूप में वापिस कर दिये जायेंगे। सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि भूखण्ड/सम्पत्ति के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
- (iii) सफल आवेदक को आवंटन—पत्र पंजीकृत डाक ए0डी0 के साथ अथवा प्रोसेस सर्वर द्वारा प्रेषित किया जायेगा।
- (iv) आवंटन पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता/आवंटी द्वारा उच्चतम स्वीकृत मूल्य की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जायेगी। उक्त राशि के भुगतान हेतु कोई समयवृद्धि नहीं दी जायेगी (चैक स्वीकार्य नहीं होंगे)।

5. भुगतान की प्रक्रिया एवं कब्जा:

- (i) कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात् ₹ 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा ₹ 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए भवन/भूखण्ड की बोली निरस्त कर दी जायेगी।
- (ii) उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशि का भुगतान प्लान—ए अथवा प्लान—बी द्वारा निम्नानुसार करना होगा :—
 - (प्लान—ए) (ए—1) नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे—ऑर्डर—तालिका सं0—1 के अनुसार।
 - (ए—2) फॉल ऑफ हैमर पर— कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात् ₹ 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा ₹ 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी।
 - (ए—3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि—आवंटन—पत्र की तिथि से 60 दिन के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। 60 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर विलम्ब की दशा में आवासीय सम्पत्तियों में 13.50 पैनल ब्याज व अन्य सम्पत्तियों में 14.00 प्रतिशत पैनल ब्याज आवंटन तिथि से देय होगा।
- (प्लान—बी) (बी—1) नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे—ऑर्डर—तालिका सं0—1 के अनुसार।
- (बी—2) फॉल ऑफ हैमर पर—कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात् ₹ 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा ₹ 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। इसमें कोई अनुग्रह अवधि देय नहीं होगी।

- (बी-3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि-आवंटन-पत्र की तिथि से (₹ 5 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्तियों) 10 छमाही किश्तों में एवं (₹ 5 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों) में 14 छमाही किश्तों में आवासीय सम्पत्तियों पर साधारण ब्याज दर 10.50 प्रतिशत तथा अन्य सम्पत्तियों पर साधारण ब्याज 11.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा। ₹ 5.00 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का कब्जा आवंटी को देने के उपरान्त प्राधिकरण एवं आवंटी के मध्य एसक्रो एकाउन्ट को खोला जायेगा। यदि आवंटी द्वारा तीन किश्तें निरन्तर जमा नहीं की जाती हैं, तो प्रथम एवं अंतिम नोटिस निर्गत कर किश्तें जमा करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। नोटिस निर्गत के एक माह के अन्दर धनराशि जमा नहीं की जाती तो पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- (iii) प्लान-बी के अन्तर्गत किश्त की निर्धारित देय तिथि के बाद 29 दिन का ग्रेस पीरियड अनुमन्य होगा। ग्रेस पीरियड की समाप्ति पर किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक आवासीय सम्पत्तियों पर 13.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व अन्य सम्पत्तियों पर 14.00 प्रतिशत की दर से पैनल ब्याज देय होगा। यदि निर्धारित देय तिथि से 03 माह के अन्दर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूखण्ड/भवन का आवंटन निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त करते हुए एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (iv) आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि आवंटित सम्पत्ति का मूल्य ₹ 50.00 लाख से अधिक है तो आवंटी को देय धनराशि का एक प्रतिशत टी०३००एस० कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALG0072C में जमा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- (v) यदि आवंटी प्लान-ए स्वीकार करता है तो भूखण्ड का कब्जा आवंटी द्वारा सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय-विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। यदि आवंटी प्लान-बी स्वीकार करता है तो आवंटी को भूखण्ड का कब्जा कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटी प्राधिकरण के भवन निर्माण उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ कर सकता है। आवंटी को स्वयं के व्यय एवं जोखिम पर भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा, परन्तु प्लान बी की स्थिति में प्राधिकरण से विक्रय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी भी क्रेता को विक्रय की गयी सम्पत्ति (भवन) आदि हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
- (vi) बहुमंजिलें भवनों का आबंटन लीज के आधार पर किया जायेगा।
- (vii) यदि आवंटी द्वारा भुगतान प्लान बी का चयन किया जाता है, परन्तु वह आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य जमा कर देता है तो आवंटी द्वारा पूर्व में चयन किया गया प्लान बी स्वतः ही प्लान ए में परिवर्तित हो जायेगा।

6. विक्रय-विलेख की शर्तें :

- (i) आवंटी को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटित भूखण्ड/सम्पत्ति का प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर अपने व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। भूखण्ड/सम्पत्ति के अन्तिम भुगतान की तिथि से एक माह के अन्दर विक्रय विलेख/पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) उक्त सम्पत्ति उच्चतम बोलीदाता को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटी के रूप में प्रदान की जायेगी जिसके नियम एवं शर्तें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये गये विक्रय विलेख/लीज डीड के आधार पर होंगी।

- (iii) भूखण्ड पर भवन का निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।
- (iv) भूखण्ड एवं भूखण्ड पर निर्मित भवन का उपयोग मास्टर प्लान एवं विक्रय विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का उपयोग ब्रोशर में अंकित तालिका एवं समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित है।
- (v) आवंटी को स्वयं भूखण्ड को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी भूखण्ड के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।
- (vi) आवंटी कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से समय-समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर तथा अन्य सभी कर, जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर प्रदत्त नियमो, उप नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत भारित किये जायें, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (vii) भूखण्ड/भवन की देयता के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू-राजस्व की भाँति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।
- (viii) किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर भूखण्ड आवंटित होने की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में भूखण्ड के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटी को किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।
- (ix) आर0डी0सी0 राजनगर में क्योस्क भूखण्ड पर मात्र भूतल पर भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर आच्छादन अनुमन्य है। प्रथम तल पर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (x) भूखण्ड/भवन पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध विधिसम्मत नियम व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत धस्तीकरण/सील आदि की कार्यवाही की जायेगी।
- (xi) निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार जल आपूर्ति, सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युत आपूर्ति की लाईन भूखण्ड की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। भूखण्ड/भवन पर आन्तरिक विकास कार्य आवंटी को स्वयं करना होगा।
- (xii) भूखण्ड/भवन का आवंटन 'जहाँ है, जैसा है', के आधार पर होगा एवं आवंटी को भूखण्ड का कब्जा भी "जहाँ है—जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- (xiii) यदि किसी कारणवश प्राधिकरण भूखण्ड/भवन का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है तो आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।
- (xiv) व्यवसायिक, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग, दुकान भूखण्ड, नर्सिंग होम भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड एवं आवासीय भूमि पर निर्माण हेतु अनुबन्ध विलेख/विक्रय-विलेख की तिथि से 05 वर्ष की निर्माण अवधि प्रदान की जायेगी। आवंटी को निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन कर प्राधिकरण से भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनिर्माण शुल्क देय होगा। निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (xv) बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटी को अपने खर्च पर लेने होंगे।
- (xvi) आबंटित सम्पत्ति पर भविष्य में कभी यदि जी0एस0टी0 की देयता बनती है तो जी0एस0टी0 की धनराशि आबंटी द्वारा अतिरिक्त देय होगी।
- (xvii) बहुमंजिले भवनों में छत के ऊपर के तल को बेचने या बनाने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। आवंटी को भवन की छत का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

7. स्टाम्प एवं अन्य शुल्क :

भूखण्ड का रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख/विक्रय—विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।

8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

- (i) नीलामी, आवंटन, मानचित्र स्वीकृति, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ii) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल गाजियाबाद न्यायालय को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होगा।
- (iii) यदि आवंटी निर्धारित देय तिथि को भूखण्ड/भवन का कब्जा प्राप्त नहीं करता है तो निर्धारित देय तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर चौकीदारी शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा।

9. समर्पण एवं निरस्तीकरण :

भूखण्ड/भवन का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी :—

- (i) यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा फॉल ऑफ हैमर के उपरान्त फ्रीहोल्ड निर्धारित अवधि में कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (ii) किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करते हुए एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज, यदि कोई हो तो, की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (iii) यदि आवंटी द्वारा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तिथियों में जमा नहीं करायी जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए धारा-9(i) के अनुसार कटौती कर ली जायेगी एवं निरस्तीकरण उपरान्त भूखण्ड को नीलामी में प्रस्तावित कर दिया जायेगा।
- (iv) सभी रिफेण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

नीलामी स्थल : हिन्दी भवन, लोहियानगर, गाजियाबाद।

दिनांक : 16.10.2020,

समय : मध्याह्न 12:30 बजे

तालिका-1

क्र० सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्ड / भवन संख्या	न्यूनतम आरक्षित दर (रु प्रति वर्ग मी.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु लाख में)	धरोहर राशि (रु लाख में)	FAR / भू-अच्छादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	692.00	10	23772.00	164.50	16.45	1000 वर्गमी 10 तक के भूखण्डों पर भू-अच्छादन 60 प्रतिशत एफ.ए. आर. 1.5 तथा 1000 वर्गमी से अधिक पर भू-अच्छादन 60 प्रतिशत एफ.ए. आर. 1.3 नोट : वृहद उद्योग हेतु भू-अच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 0.8
2	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	690.90	11	23772.00	164.24	16.42	
3	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	530.95	22	23772.00	126.22	12.62	
4	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	547.60	23	23772.00	130.18	13.02	
5	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	715.00	27	23772.00	169.97	17.00	
6	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	530.00	28	23772.00	125.99	12.60	
7	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	536.00	29	23772.00	127.42	12.74	
8	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	540.00	30	23772.00	128.37	12.84	
9	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	548.00	31	23772.00	130.27	13.03	
10	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	556.00	32	23772.00	132.17	13.22	
11	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	525.28	33	23772.00	124.87	12.49	
12	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	813.96	34	23772.00	193.49	19.35	
13	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	640.22	35	23772.00	152.19	15.22	
14	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	658.86	37	23772.00	156.62	15.66	
15	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	656.08	38	23772.00	155.96	15.60	
16	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	426.36	39	23772.00	101.35	10.14	
17	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	537.70	42	23772.00	127.82	12.78	
18	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	516.00	43	23772.00	122.66	12.27	
19	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	516.00	44	23772.00	122.66	12.27	
20	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	593.40	45	23772.00	141.06	14.11	
21	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	485.52	46	23772.00	115.42	11.54	
22	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	484.00	47	23772.00	115.06	11.51	
23	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	492.00	48	23772.00	116.96	11.70	
24	मधुबन बापूधाम योजना	औद्योगिक भूखण्ड	400.00	49	23772.00	95.09	9.51	
25	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-6	76380.00	215.00	21.50	3/100%
26	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-7	76380.00	215.00	21.50	3/100%
27	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-8	76380.00	215.00	21.50	3/100%
28	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-9	76380.00	215.00	21.50	3/100%
29	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-10	76380.00	215.00	21.50	3/100%
30	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-11	76380.00	215.00	21.50	3/100%
31	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-12	76380.00	215.00	21.50	3/100%
32	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-13	76380.00	215.00	21.50	3/100%
33	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-14	76380.00	215.00	21.50	3/100%
34	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	281.50	C/SP-15	76380.00	215.00	21.50	3/100%
35	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	200.00	C/SP-50	76380.00	152.76	15.27	3/100%
36	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	200.00	C/SP-51	76380.00	152.76	15.27	3/100%
37	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	200.00	C/SP-52	76380.00	152.76	15.27	3/100%
38	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	200.00	C/SP-53	76380.00	152.76	15.27	3/100%
39	मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट सी	व्यवसायिक भूखण्ड	200.00	C/SP-54	76380.00	152.76	15.27	3/100%

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्ड / भवन संख्या	न्यूनतम आरक्षित दर (₹ प्रति वर्ग मी.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)	धरोहर राशि (₹ लाख में)	FAR / भू-अच्छादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-12	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
225	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-13	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
226	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-14	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
227	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-15	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
228	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	116.24	CP-16	133000.00	154.60	15.46	1.5/GC-60%
229	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-17	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
230	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-18	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
231	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-19	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
232	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-20	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
233	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-21	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
234	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-22	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
235	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	120.00	CP-23	133000.00	159.60	15.96	1.5/GC-60%
236	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	142.25	CP-24	133000.00	189.19	18.92	1.5/GC-60%
237	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-25	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
238	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-26	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
239	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-27	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
240	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-28	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
241	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-29	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
242	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-30	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
243	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-31	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
244	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-32	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
245	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	79.68	CP-33	133000.00	105.97	10.60	1.5/GC-60%
246	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	107.11	CP-34	133000.00	142.46	14.25	1.5/GC-60%
247	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	85.84	CP-35	133000.00	114.17	11.42	1.5/GC-60%
248	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	99.21	CP-36	133000.00	131.95	13.19	1.5/GC-60%
249	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	112.59	CP-37	133000.00	149.74	14.97	1.5/GC-60%
250	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	124.48	CP-38	133000.00	165.56	16.56	1.5/GC-60%
251	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	126.61	CP-39	133000.00	168.39	16.84	1.5/GC-60%
252	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	व्यवसायिक भूखण्ड	126.69	CP-40	133000.00	168.50	16.85	1.5/GC-60%
253	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट ए	आवासीय भूखण्ड	94.62	E-02	21000.00	19.87	1.99	-
254	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट ए	आवासीय भूखण्ड	97.09	E-03	21000.00	20.39	2.04	-
255	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट ए	आवासीय भूखण्ड	94.20	E-04	21000.00	19.78	1.98	-
256	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट ए	आवासीय भूखण्ड	90.91	E-05	21000.00	19.09	1.91	-
257	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट ए	आवासीय भूखण्ड	87.62	E-06	21000.00	18.40	1.84	-
258	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट ए	आवासीय भूखण्ड	84.81	E-07	21000.00	17.81	1.78	-
259	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट बी	आवासीय भूखण्ड	187.56	E-21	21000.00	39.39	3.94	-
260	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट बी	आवासीय भूखण्ड	90.61	E-22	21000.00	19.03	1.90	-
261	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट बी	आवासीय भूखण्ड	91.87	E-23	21000.00	19.29	1.93	-
262	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट बी	आवासीय भूखण्ड	90.05	E-26	21000.00	18.91	1.89	-
263	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट बी	आवासीय भूखण्ड	90.05	E-27	21000.00	18.91	1.89	-
264	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट बी	आवासीय भूखण्ड	133.27	E-28	21000.00	27.99	2.80	-
265	नन्दग्राम योजना ई ब्लाक पार्ट बी	आवासीय भूखण्ड	142.53	E-29	21000.00	29.93	2.99	-
266	गोविन्दपुरम योजना निकट आई ब्लाक	आवासीय भूखण्ड	184.50 Approx	I/NP-6	25000.00	37.13	3.71	-
267	गोविन्दपुरम योजना निकट आई ब्लाक	आवासीय भूखण्ड	215.57 Approx	I/NP-7	25000.00	53.89	5.39	-

क्रं सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्ड/ भवन संख्या	न्यूनतम आरक्षित दर (₹ प्रति वर्ग मी.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)	धरोहर राशि (₹ लाख में)	FAR/ भू-अच्छादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	गोविन्दपुरम योजना निकट आई ब्लाक	आवासीय भूखण्ड	166.23 Approx	I/NP-8	25000.00	41.56	4.16	-
269	गोविन्दपुरम योजना निकट आई ब्लाक	आवासीय भूखण्ड	166.23 Approx	I/NP-10	25000.00	41.56	4.16	-
270	गोविन्दपुरम योजना	आवासीय भूखण्ड	101.02	CP-23	25000.00	25.26	2.53	-
271	गोविन्दपुरम योजना	आवासीय भूखण्ड	208.90	A-71/6	25000.00	52.23	5.22	-
272	बृज विहार योजना	आवासीय भूखण्ड	48.18	C-45/5	30000.00	14.45	1.45	-
273	वैशाली योजना सैक्टर-3	आवासीय भूखण्ड	140.25	NP-13	67500.00	94.67	9.47	-
274	कर्पूरीपुरम योजना	आर्ट गैलरी भूखण्ड	548.52	--	22000.00	120.67	12.07	-
275	नवयुग मार्किट	दुकान	136.09	28	--	466.78	46.68	-
276	नवयुग मार्किट	हॉल	86.79	8 B	--	114.78	11.48	-
277	पटेलनगर डी-ब्लॉक	क्योस्क भूखण्ड	116.84	--	47000.00	54.91	5.49	-
278	तुलसी निकेतन योजना	व्यवसायिक भूखण्ड	1230.27	C-1	22000.00	270.66	27.07	-